



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022022-233673
CG-DL-E-22022022-233673

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 22, 2022/फाल्गुन 3, 1943

No. 102]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 22, 2022/PHALGUNA 3, 1943

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2021

फा. सं. CEA-PS-13-24(55)/1/2021-PSPM Division.—जबकि मेसर्स पावरग्रिड भडला ट्रांसमिशन लिमिटेड (पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी) जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली -110016 है, ने पारेषण योजना “चरण-II - पार्ट बी के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 GW) से बिजली की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली को मजबूत करने की योजना” के तहत बिजली की तारें विछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. I/12207/2020 दिनांक 05.11.2020 के द्वारा पारेषण योजना “चरण-II -पार्ट बी के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 GW) से बिजली की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली को मजबूत करने की योजना” के लिए मेसर्स पावरग्रिड भडला ट्रांसमिशन लिमिटेड (मेसर्स पीबीटीएल)को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स पावरग्रिड भडला ट्रांसमिशन लिमिटेड ने दिनांक 26.06.2021 (द टाइम्स ऑफ इंडिया, राजस्थान पत्रिका और दैनिक नवज्योति) के स्थानीय अखबारों तथा भारत का राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 17 जुलाई -23 जुलाई, 2021 को, प्रकाशित किया गया था। जिसमें पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स पावरग्रिड भडला ट्रांसमिशन लिमिटेड ने 21.09.2021 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि समाचार पत्रों / भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना “चरण-II -पार्ट बी के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 GW) से बिजली की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली को मजबूत करने की योजना” के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है।

इस योजना के तहत निम्नलिखित ओवरहेड लाइनें शामिल हैं –

1. फतेहगढ़-II PS - भडला-II PS 765 के.वी. डी./सी. लाईन (2nd)

स्कीम के अंतर्गत आवरित ट्रांसमिशन लाइन्स निम्नलिखित तहसीलों, तालुकों, मंडलों, ब्लॉक, गांवों, नगरों तथा शहरों से, ऊपर, आसपास तथा बीच से होकर गुजरेगी।

लाईन : फतेहगढ़-II - भडला-II 765 के.वी. डी./सी. लाईन (2nd)

राज्य : राजस्थान

गावों के नाम	तहसील	ज़िला
जिंदे की ढाणी, सांवता, कराड़ा, मंडनवाली माली, लाला, रासला, मेहराजोत, अचला, नया अचला, ईश्वरसिंह की ढाणी, नया कराड़ा, अचलसिंह की ढाणी	फतेहगढ़	जैसलमेर
लखासर(मोदजी की ढाणी), खूहड़ा, चारणों की ढाणी, कुंप्सिंह की ढाणी, खुदा की ढाणी, जेठमल की ढाणी, खुहरो का ताला, सदरासर, सांकड़ा, भैरणियाँ की ढाणी, लखजी की ढाणी, ऐदानजी की ढाणी, रावजी की ढाणी, बलवंतसिंह की ढाणी, बिशनसिंह की ढाणी, खेतसिंह की ढाणी, भोपालसिंह की ढाणी, नागणीयो की ढाणी, दलपतपुरा, लाडू खान की ढाणी, नागू की ढाणी, शेर खान की ढाणी, गमनन की ढाणी, छुट्टाराम की ढाणी, जसवन्तपुरा, जसवंतसिंह की ढाणी, जैमला, धुडसर, बत्यारों की ढाणी, भीमजी की ढाणी, लूना, अचलपुरा, तोर की ताला, नया सांकड़ा, खेतासर, नई गुड्डी, प्रतापगढ़, राजसिंह की ताला, आणेसा	पोखरण	जैसलमेर
दुधली की ढाणी, दुधिया की ताला, चंदनसिंह की ढाणी, कुरवा की ढाणी, फूसासर, सोढासर, फुसानियां की ढाणी, चोधरी की ढाणी, कानासर, रायसिंहपुरा, तेलीवाड़ा, गुडला मागरा, रूपजी की ढाणी, माडवा, हिरजी की ढाणी, बालूसिंह की ढाणी, बालूजी की ढाणी, बारट का गाँव, हिंगलाज धाम, मेडवा, झलारिया, नरसिंहपुरा, हनुमान बेड़ा, रायपालों की ढाणी, भाखरी, कोजराज सिंह की ढाणी, चितरोडी, उन्वपदरा, इंदिरानगर	भनियाणा	जैसलमेर
लालपुरा, डेडीया, जाटों की ढाणी, चाँदसमा, सक्तानियों की ढाणी, रावतगढ़, सादुलपुरा,	ढेचु	जोधपुर

रामनगर, गाँधी खान की ढाणी, सोडों का मंडला, मोतीराम की ढाणी, खेरा बगोडिया, फजरू खान की ढाणी, बनियाल की ढाणी, सुथारों की ढाणी, कोलुराठौड़ा, मंडला कलां, कोलू पाबुजी, पाबूछंहरा, राठोडों का कुआँ, रात्री नाडी, तोलइ की ढाणी, रुपनाथ की भाकरी, विश्रोइयो की ढाणी, बारा मंडला, पांसी का मंडला, पाबु चौरान,		
झरडेजीकीभाखरी, अमरनगर, दलजीकीढाणी, जालोरा, मेघवालो की ढाणी, कालीमाली, छिला, नेताजी नगर, शैतानसिंहनगर आर एस, जेठाराम की ढाणी, अमला, डेरिओं की ढाणी	लोहावट	जोधपुर
बामणू, बामणू खुर्द, ठाकुरवाली माली, सांवरीज, शिवनगर, मीरनगर, मोखेरी, कोटेचो की ढाणी, लोर्डिया, गज्जा, बापीणी, जुनेजो की ढाणी, डेडिसरा, खीचन, गोदारली, कानासर, नेनऊ, मलार, नाथ का मगरा, अब्दुल की ढाणी, सिवान्दीनाडी, रिण	फलोदी	जोधपुर
मलार की ढाणी, आगार, सोवनाडी की ढाणी, जाम्बा, देगावरी, चारनाइ, सोवनाडी, शेरपुरा, बाप, बोरानाडा, बागडा, मँगलनगर, जैतडासर, सिन्धीपुरा, मण्डोर, नयागाँव, फतेहखान की ढाणी, जमालदीन की ढाणी, बाबरवों की ढाणी, एकल ढाली, सरनपुरा, जमाल की ढाणी, गफुर की ढाणी, मंडोरगाँव, कल्याणसिंह की सिर्द, बड़ी सिर्द, कांजी की सिर्द, जोधसिंह की सिर्द, किशनेरी जैती, हरलाल की ढाणी, गुरा	बाप	जोधपुर

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स पावरग्रिड भडला ट्रांसमिशन लिमिटेड को उपरोक्त स्कीम के अंतर्गत आवरित ट्रांसमिशन लाइन्स को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है -

- (i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- (ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति लेनी होगी।
- (iii) आवेदक विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत बनाए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस इत्यादि के संबंध में उपयुक्त आयोग के नियमों/कोडों का पालन करेगा।
- (iv) आवेदक संबंधित केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- (v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।
- (vi) मेसर्स पावरग्रिड भडला ट्रांसमिशन लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- (vii) मेसर्स पावरग्रिड भडला ट्रांसमिशन लिमिटेड को ओवरहेड लाइन बिछाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.04.2021 जीआईबी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) मामले के संबंध में 2019 की रिट याचिका संख्या 838, 2020 के आईए नंबर 85618 का पालन करना होगा।
- (viii) मेसर्स पावरग्रिड भडला ट्रांसमिशन लिमिटेड केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को ट्रांसमिशन लाइसेंस की एक प्रति प्रस्तुत करेगा।

वी. के. मिश्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./656/2021-22]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY**ORDER**

New Delhi, the 30th December, 2021

F. No. CEA-PS-13-24(55)/1/2021-PSPM Division.—Whereas M/s. Powergrid Bhadla Transmission Limited (a 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Ltd), the applicant with its registered office at B-9, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi – 110016, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission system strengthening scheme for evacuation of Power from Solar energy zone in Rajasthan (8.1 GW) under Phase-II Part-B”.

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter No I/12207/2020 dated 05.11.2020 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Powergrid Bhadla Transmission Limited (M/s PBTL) for the transmission scheme “Transmission system strengthening scheme for evacuation of Power from Solar energy zone in Rajasthan (8.1 GW) under Phase-II Part-B”.

M/s. PBTL has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 26.06.2021 (The Times of India, Rajasthan Patrika & Dainik Navjyoti) and in The Gazette of India, dated 17th - 23rd July 2021, for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently, M/s Powergrid Bhadla Transmission Limited has submitted an affidavit dated 21.09.2021 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon it, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission system strengthening scheme for evacuation of Power from Solar energy zone in Rajasthan (8.1 GW) under Phase-II Part-B”. The following overhead lines are covered under this scheme:

1. Fatehgarh-II PS – Bhadla II PS 765 kV D/C line (2nd).

The transmission lines covered under the scheme will pass through, over, around and between the following of Tehsils, Talukas, Mandals, Blocks, villages, towns & cities.

Line: Fatehgarh-II PS– Bhadla-II PS 765kV D/C line (2nd).

STATE: RAJASTHAN

Villages Name	Tehsil	District
Jinde ki Dhani, Sanwata, Karara, Mandanwali Mali, Lala, Rasla, Mehrajot, Achala, Naya Achala, Ishwarsingh Ki Dhani, Naya Karara, Achalsingh Ki Dhani	Fatehgarh	Jaisalmer
Lakhasar(Modji ki Dhani), Khuhada, Charanon ki Dhani, Kumpsingh ki Dhani, Khuda ki Dhani, Jethmal ki Dhani, khuhro ka Tala, Sadrasar, Sankra, Bhairaniyan ki Dhani, Lakhji ki Dhani, Aidanji ki Dhani, Raoji ki Dhani, Balwantsingh ki Dhani, Bishansingh ki Dhani, Khetsingh ki Dhani, Bhopalsingh ki Dhani, Naganio ki Dhani, Dalpatpura, Ladu Khan ki Dhani, Nagu ki Dhani, Sher khan ki Dhani, Gamnan ki Dhani, Chuttraram ki Dhani, Jaswantpura, Jaswantsingh ki Dhani, Jemla, Dhursar, Batyaron ki Dhani, Bhimji ki Dhani, Luna, Achalpura, Tor Ki Tala, Naya Sankra, Khetasar, Nai Guddi, Pratapgarh, Rajsingh Ki Tala, Anesa	Pokaran	Jaisalmer
Doodhli ki Dhani, Dudhiya ki Tala, Chandansingh ki Dhani, Kurwa Ki Dhani, Phusasar, Sodhasar, Phusanian ki Dhani, Chodhari Ki Dhani, Kanasar, Raisinghpura, Teliwara, Gudala Magra, Rupji ki Dhani, Marwa, Hirji ki Dhani, Baloosingh Ki Dhani, Baluji ki Dhani, Barat ka Gaon, Hinglaj Dham, Merwa, Jhalaria, Narsinghpura, Hanuman Bera, Raipalon ki Dhani, Bhakhri, Kojraj Singh ki Dhani, Chitrodi, Unchpadra, Indiranagar	Bhaniyana	Jaisalmer
Lalpura, Dediya, Jatoni Ki Dhani, Chandsama, Saktaniyon Ki Dhani, Rawatgarh, Sadulpura, Ramnagar, Gandhi Khan ki Dhani, Soron ka Mandla, Motiram ki	Dechu	Jodhpur

Dhani, Khera Bagodiya, Phajru Khan ki Dhani, Baniyal ki Dhani, Sutharon ki Dhani, Kolurathora, Mandla Kalan, Kolu Pabuji, Pabuchhanwara, Rathoron ka Kuan, Ratri Nadi, Tolai ki Dhani, Rupnath ki Bhakri, Bishnoion Ki Dhani, Bara Mandla, Pansi Ka Mandla, Pabu Chauran		
Jhardejikibhakhari, Amarnagar, Daljikhidhani, Jalora, Meghwalo ki Dhani, Kalimali, Chhila, Netaji nagar, Shaitansinghnagar R S, Jetharam ki Dhani, Amla, Derion ki Dhani	Lohawat	Jodhpur
Bamnu, Bamnu Khurd, Thakurwali Mali, Sanvrij, Shivnagar, Meernagar, Mokheri, Kotecho ki dhani, Lordiya, Gajja, Bapinee, Junejo Ki Dhani, Dedisara, Khichan, Godarli, Kanasar, Nenau, Malar, Nath ka magara, Abdul ki Dhani, Sivandinadi, Rin	Phalodi	Jodhpur
Malar ki Dhani, Agar, Sovnadi ki Dhani, Jamba, Degawari, Charnai, Sovnadi, Sherpura, Bap, Boranada, Bagadaa, Mangalnagar, Jaitdasar, Sindhipura, Mandor, Nawagaon, Fatehkhani ki Dhani, Jamaldin ki Dhani, Babarwon ki Dhani, Ekal Dhali, Saranpura, Jamal ki Dhani, Gafur ki Dhani, Mandorgaon, Kalyansingh ki Sird, Bari Sird, Kanji ki Sird, Jodhsingh ki Sird, Kishneri jaiti, Harlal ki Dhani, Gura	Bap	Jodhpur

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained by Government or to be established or maintained upon M/s. Powergrid Bhadla Transmission Limited for laying above overhead line, subject to following terms and conditions:

- (i) The approval is granted for 25 years;
- (ii) The Applicant shall seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- (iii) The Applicant shall follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- (iv) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- (v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- (vi) M/s. Powergrid Bhadla Transmission Limited shall submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.
- (vii) M/s. Powergrid Bhadla Transmission Limited shall comply with the direction of Hon'ble Supreme Court of India in its Order in I.A No. 85618 of 2020 dated 19.04.2021 related to GIB (Great Indian Bustard) in Writ Petition No. 838 of 2019 for laying of overhead transmission lines.
- (viii) M/s. Powergrid Bhadla Transmission Limited shall submit a copy of transmission license to Central Electricity Authority.

V. K. MISHRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./656/2021-22]